



प्रेस नोट- पुलिस मुठभेड़ (थाना कटरा)

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस



दिनांक- 21.11.2025

**“थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित व 10,000/- रु0
के इनामिया अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौराने किया गया गिरफ्तार”**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार में जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी व रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.11.2025 को थाना कटरा पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी में भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 304/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/352/351(2)/324(2) बीएनएस में वांछित व 10,000/- रु0 के इनामिया अभियुक्त अभियुक्त शानू पुत्र ताहिर उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम कमलनैनपुर थाना कांठ जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 21.11.2025 समय 00.55 बजे मुठभेड़ के दौरान ग्राम कमलापुर नहर पुलिया से करीब 200 मीटर पट्टी बक्स की ओर नहर पटरी पर कच्चा रास्ता थाना क्षेत्र के अन्तर्गत से गिरफ्तार किया गया। पुलिस मुठमेड़ में अभियुक्त शानू उपरोक्त के घायल हो जाने के कारण अभियुक्त शानू उपरोक्त को घटना स्थल से ही इलाज हेतु पुलिस निगरानी में सी.एच.सी.कटरा में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद कारतूस 315 बोर नाल में फंसा हुआ तथा 02 अदद मोबाईल फोन मोटरोला टच, माईक्रोमैक्स कीपैड तथा 430 रु0 बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त शानू उपरोक्त के विरुद्ध थाना कटरा पर मु0अ0सं0 485/25 धारा 109(1) बी.एन.एस. तथा 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को बाद उपचार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

शानू पुत्र ताहिर (उम्र करीब 23 वर्ष) निवासी ग्राम कमलनैनपुर थाना कांठ जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान का विवरण:-

दिनांक 21.11.2025 समय 00.55 बजे पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना कटरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कमलापुर नहर पुलिया से करीब 200 मीटर पट्टी बक्स की ओर नहर पटरी पर कच्चा रास्ता से गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. 292/2019 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम
2. 731/2019 धारा 3/8 गौवध अधिनियम
3. 384/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट
4. 839/2020 धारा 2/3 उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
5. 882/2020 धारा 307 भा.द.स.
6. 455/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, 420/467/468/471 भा.द.स.
7. 753/2021 धारा 307/354/323/384/504/506/452/352 भा.द.स.
8. 267/2022 धारा 307 भा.द.स.
9. 268/2025 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम
10. 125/2023 धारा 379 भा.द.स.
11. 126/2023 धारा 41/102 द.प्र.सं., 411/413/414/420/483 भा.द.स.
12. 248/2023 धारा 2/3 उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
13. 425/2020 धारा 379 भा.द.स.
14. 667/2022 धारा 379 भा.द.स.
15. 304/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/115(2)/352/351(2)/324(2) बीएनएस
16. 079/2023 धारा 379 भा.द.स.
17. 709/2020 धारा 41/102 द.प्र.सं., 379/411/420/467/468/471 भा.द.स.
18. 485/25 धारा 109(1) बी.एन.एस.तथा 3/25/27 आयुध अधि०

बरामदगी का विवरण –

1 अदद तमंचा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद कारतूस 315 बोर नाल में फसां हुआ तथा दो अदद मोबाईल फोन मोटरोला टच तथा मार्झक्रोमैक्स कीपेड तथा 430/- रु० बरामद किए गए।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

प्रभारी निरीक्षक श्री जुगुल किशोर पाल

उ०नि० श्री सुखपाल सिंह थाना

उ०नि० श्री पदम सिंह

ह०का० 229 आरजू खाँ

का० 2300 अंकित नेहरा

का० 1901 आशीष कुमार

का० 1858 योगेन्द्र

का० 2698 पंकज कुमार